सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 198/2016 वाद

शोएब अहमद पिता सगीरूद्दीन मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादी

//बनाम//

1– नाथी बाई पत्नी छोगालाल डांगी, आयु वयस्क, निवासी खोडीप, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ़।
2– कनिराम पिता उंकारलाल डांगी, आयु वयस्क, निवासी खोडीप, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा तहत धारा 183, 188 रा0का0अधि0
श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादी उपस्थित।

निर्णय दिनांक 22.11.2017

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा मण्डलाचारण की खाता संख्या 298 की आराजी नं. 79 रकबा 1.0100 हेक्टैयर भूमि स्थित है जो वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी पर अकेला वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण इस भूमि के पडोसी खातेदारी हैं तथा दिगर लोगों के सिखावे में आकर वादी की खातेदारी की भूमि के उत्तरी दिशा में नजरी नक्शे में दिखाये ए स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व बी स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 ने नाजायज कब्जा करने की कोशिश की। इस पर वादी ने माननीय न्यायालय में पत्थरगढ़ी का प्रकरण दर्ज करवाया जिसका नम्बर 2/16 होकर माननीय न्यायालय के आदेश से दिनांक 18.06.2016 को पत्थरगढ़ी की गई जिसमें प्रतिवादीगण का वादी की भूमि पर नाजायज कब्जा पाया गया। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपूर्द करने हेतु कहा तो वे किसी सुरत में मानने को तैयार नहीं है तथा मौके पर विवाद करते हैं। वादी को झुठे मुकदमें में फसाने की धमकीयां देते हैं तथा पत्थर की दिवार बनाने व थोरे की बाड़ लगाने पर आमदा हैं। इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा प्रस्तुत करना पड रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी की भूमि के उत्तरी दिशा में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये नाजायज कब्जे को हटाया जावे तथा कब्जा वादी को दिलाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम मण्डलाचारण की खाता संख्या 298 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, प्रकरण संख्या 2/2016 पत्थरगढी के आदेश दिनांक 09.05.2016 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3, भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त बिनोता की रिपोर्ट दिनांक 18.06.2016 प्रदर्श–4, नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 5, पटवार हल्का मण्डलाचारण की रिपोर्ट दिनांक 18.06.2016 प्रदर्श–6 प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वयं का शपथ पत्र पीडब्ल्यु–1 तथा खुर्शीद अहमद पिता शबीर हुसैन पीडब्ल्यु–2 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं तथा बयान करवाये हैं। प्रदर्श–1 अनुसार ग्राम मण्डलाचारण की आराजी नं. 79रकबा 1.0100 हेक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस में आराजी नं. 79 एक चक अंकित है। प्रदर्श–3 इसी न्यायालय का पत्थरगढी का आदेश है जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्का द्वारा की गई पालना प्रदर्श–4 से 6 में अंकित है। प्रदर्श–5 में आराजी नं. 79 के उत्तरी पूर्वी भाग पर अंकित ए स्थान पर नाथी बाई का व उत्तरी पश्चिमी भाग में अंकित बी स्थान पर कनीराम का कब्जा पाया गया है तथा सी भाग पर वादी का कब्जा है। रेकार्ड में उक्त सम्पूर्ण आराजी वादी के नाम दर्ज है। रेकार्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का तथा हर प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जिसे हटवाने का वादी पूर्ण अधिकारी है। वादी का दावा डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिया जाता है कि बाद गुजरने मियाद अपील प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी की ग्राम मण्डलाचारण की आराजी नं. 79 से बेदखल कर कब्जा वादी को सिपूर्द किया जावे। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 22.11.2017 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official